भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 746

गुरूवार, 05 फरवरी, 2026 /16 माघ, 1947 (शक)

श्रम संहिता के प्रारूप नियमों पर परामर्श

746 श्रीमती राजाथी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए श्रम संहिता के प्रारूप नियमों को परिचालित किया है;

(ख) क्या सभी चार संहिताओं को एक साथ जारी करने के क्या कारण हैं, जिसमें टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम पैंतालीस दिन की समयावधि दी गई है, जिससे श्रमिकों और अन्य हितधारकों को सभी प्रारूपों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचा है;

(ग) क्या मंत्रालय को समय-सीमा बढ़ाने, व्यापक प्रसार और अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय परामर्श अवधि को एक बार और पैंतालीस दिनों के लिए बढ़ाने का विचार रखता है, जिससे कि कुशल परामर्श प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ); केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं अर्थात; वेतन संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर संहिता) तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता) को दिनांक 21.11.2025 से लागू किया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने दिनांक 30.12.2025 को चारों श्रम संहिताओं को आम जन से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए पूर्व प्रकाशित किया है जिसमें तीन संहिताओं, अर्थात वेतन संहिता, 2019, सीओएसएस, 2020, ओएसएच और डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के अंतर्गत टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 45 दिनों की समयावधि दी गई है जबकि आईआर संहिता, 2020 के अंतर्गत 30 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। मसौदा नियमों पर परामर्श की समय सीमा बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****